

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 31st March, 1983.  
10 Chaitra, 1905 (SAKA).

NOTIFICATION

G.S.R. 306(E) - WHEREAS the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to make reduction in rate in respect of income-tax in favour of any person, being a foreign company, or a person (other than a company) who is non-resident, with whom the Central Government has entered into an agreement for the association or participation of that Government or any person authorised by that Government in any business consisting of the prospecting or the extraction or production of mineral oils;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 293A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby provides that, -

of such  
income-tax;

- (a) Where the total income of any such person consists only of profits and gains derived from such business, the tax payable by such person on his total income shall be the amount of income-tax calculated on such total income at the rate of fifty-five per cent. of such income as increased by a surcharge for purposes of the Union at the rate of two and half per cent. /
- (b) Where the total income of such person includes such profits and gains, the tax payable by him on his total income shall be -
  - (i) the aggregate of the income-tax and surcharge payable by him in accordance with the provisions of clause (a) on the profits and gains referred to in that clause included in the total income; plus
  - (ii) the amount of income-tax calculated on the amount of total income as reduced by the amount of profits and gains referred to in clause (a), at the average rate of income-tax which would have been applicable to the total income if the provision of the said clause had not applied.

Explanation:- For the purposes of this notification, -

- (a) "average rate of income-tax" means the rate arrived at by dividing the amount of income-tax calculated on the total income, by such total income;
- (b) "foreign company" shall have the meaning assigned to it in clause (4) of section 80B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (c) "mineral oil" includes petroleum and natural gas.

[No.5149 /F.No.133(79)/82-TPL]

Sd/-

( M.S. UNNINAYAR )  
Additional Secretary to the Govt.  
of India.

भारत के राजपत्र, अध्यादेश, भाग 2, खंड 3(i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 31 मार्च, 1983

अधिसूचना

सं० 306 (अ) : केन्द्रीय सरकार का समझाना हो गया है कि लोचनीत में यह आवश्यक और समीचीन है कि उस व्यक्ति के पक्ष में, जो विदेशी कंपनी या (कंपनी से भिन्न) ऐसा व्यक्ति है, जो अनिवार्य है, और जिसके साथ निम्न तैम के पूर्वद्वारा या उसका निष्कर्ष अथवा उत्पादन करने के किसी प्रकार में केन्द्रीय सरकार ने या उसके द्वारा प्राप्ति प्राप्त व्यक्ति ने सहयोग या भाग लेने के लिए करार दिया है, अधिकार की दर में कमी की बाधित छूट दी जाए ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 293 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त करती है कि, -

- (क) जहाँ किसी व्यक्ति की कुल आय ऐसे प्रकार से प्राप्त स्वतंत्र लाभों और अभिलाषों से सम्बन्धित है, जहाँ ऐसे व्यक्ति द्वारा उसकी कुल आय पर संदेय कर ऐसी कुल आय पर, ऐसी अधिकतम 50 प्रतिशत की दर से, परिष्कृत संचय के प्रयोजनों के लिए अधिकतम बढ़ा दिया जाएगा संगठित अधिकार की रकम होगी ;
- (ख) जहाँ ऐसे व्यक्ति की कुल आय के अंतर्गत ऐसे लाभ और अभिलाष हैं, जहाँ उसके द्वारा उसकी कुल आय पर संदेय कर निम्नलिखित होगा : -

(सू० 306)

- (i) कंड (क) के उपबंधों के अनुसार कुल आय में सम्मिलित उस कंड में विनिर्दिष्ट लाभों और अभिलाषों पर उसके द्वारा सदेय आयकर और अधिभार का जोड़ ;
- (ii) कुल आय की रकम पर आय कर की औसत दर से, जो यदि उक्त कंड लागू न होता तो लागू रही होती, संगणित आयकर की रकम, जिसमें से कंड (क) में निर्दिष्ट लाभों और अभिलाषों की रकम कम कर दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण — इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, —

- (क) " आयकर की औसत दर " से वह दर अभिप्रेत है जो कुल आय पर संगणित आयकर की रकम को ऐसी कुल आय द्वारा विभाजित करने निकाली गई हो ।
- (ख) विदेशी कंपनी का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 व के कंड (4) में उल्लेख है ।
- (ग) " अग्निज तेल के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस " है ।

ह०

( एम०एस० उन्नीनधर )

अवर सचिव, भारत सरकार

सं० 5149 फा० सं० 133/79/82-टी पी स्ल